



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022021-225214
CG-DL-E-17022021-225214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]
No. 75]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

आवासन और शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 114 (अ).—केन्द्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार साधारण पूल आवासिक वास नियम, 2017 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार साधारण पूल आवासिक वास (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सरकार साधारण पूल आवासिक वास नियम, 2017 के नियम 44 के खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“यदि कोई आबंटिती उसे प्रस्तावित वास के परिवर्तन को ऐसे प्रस्ताव या आबंटन के जारी होने से आठ दिनों के भीतर स्वीकार करने में विफल रहता है तो उस पर उसी टाइप के वास के लिए परिवर्तन पर अस्वीकार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए पुनः विचार नहीं किया जाएगा”।

[फा.सं. 12035/22/2000-पोल II (भाग II)]

डी. तारा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 598(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 99(अ), तारीख 8 फरवरी, 2019, सा.का.नि. सं. 883 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2019, सा.का.नि. सं. 489(अ), तारीख 5 अगस्त, 2020 और सा.का.नि. सं. 593(अ), तारीख 29 सितंबर, 2020 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(DIRECTORATE OF ESTATES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021.

G.S.R. 114(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendments to the Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Government General Pool Residential Accommodation (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017, in rule 44, in clause (6), the following clause shall be substituted, namely:-

“if an allottee fails to accept a change of accommodation offered to him within eight days of issue of such offer or allotment, he shall not be considered again for a change of accommodation for one year from the date of non-acceptance for that type of accommodation”.

[F.No.12035/22/2000-Pol.II(Pt.II)]

D.THARA, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 598(E), dated the 19th June, 2017 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R 99(E), dated the 8th February, 2019, G.S.R 883(E), dated the 29th November, 2019, G.S.R 489(E), dated the 5th August, 2020 and G.S.R.593(E) dated 29th September, 2020.